

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24/08/2023


// आदेश //

क्रमांक आर/221/2023/20-3 :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-19/2016/20-2  
दिनांक 26.08.2016 को निरस्त करते हुए निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये जाते हैं:-

1. शिक्षण सत्र 2023-24 से कक्षा 9वीं एवं 10वीं में सतत् व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया लागू किया जाए।
2. शिक्षण सत्र 2023-24 में कक्षा 9वीं एवं 2024-25 में कक्षा 10वीं में विद्यार्थियों को सामान्य गणित एवं उच्च गणित का विकल्प दिया जाए।
3. सतत् व्यापक मूल्यांकन एवं सामान्य गणित एवं उच्च गणित का विकल्प की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये शिक्षण सत्र 2024-25 से राज्य शासन एतद् द्वारा कक्षा 9वीं एवं 10वीं की वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांको की गणना हेतु बेस्ट ऑफ फाईव पद्धति समाप्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

  
23/8/23  
(प्रसाद सिंह)  
उपसचिव


म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 24/08/2023

पृ.क्रमांक आर/221/2023/20-3

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल
  2. आयुक्त, लोक शिक्षण/संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल
  3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल
  4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम, भोपाल
  5. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल
  6. निदेशक, महर्षि पंतजली संस्कृत संस्थान भोपाल
  7. सचिव, मदरसा बोर्ड मध्यप्रदेश भोपाल
  8. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश
  9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश
  10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, म.प्र.
  11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
23/8/23  
उपसचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग